

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली

क्रमांक/सामान्य/2023/ 93

दिनांक :- 13.04.2023

विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली/स्थाई लोक अदालत, पाली/पाली न्यायक्षेत्र की तालुका विधिक सेवा समितियों में कुल 13 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों की सेवाएं निम्नानुसार ली जानें हैं:-


क्र.सं.	प्राधिकरण/समिति का नाम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों की संख्या
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली	4
2	स्थाई लोक अदालत, पाली	2
3	तालुका विधिक सेवा समिति, बाली	1
4	तालुका विधिक सेवा समिति, सोजत	1
5	तालुका विधिक सेवा समिति, जैतारण	1
6	तालुका विधिक सेवा समिति, सुमेरपुर	1
7	तालुका विधिक सेवा समिति, बर	1
8	तालुका विधिक सेवा समिति, देसूरी	1
9	तालुका विधिक सेवा समिति, मारवाड	1
	कुल योग	13

राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ. 17 (10) डीओपी/ए-II/94 दिनांक 08.02.2018 व 14.11.2018 एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेश क्रमांक 206 दिनांक 06.04.2023 के अनुक्रम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होने में विलम्ब की संभावना होने एवं तत्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उक्त रिक्त पदों पर विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों की सेवाएं ली जानी हैं।

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के अनुसार देय होगा। आवेदक को विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु वांछित स्थान का विकल्प वरीयता में देना होगा।

विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु कार्मिकों की सेवाएं दिनांक 29.02.2024 तक की अवधि के लिये या नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो की कालावधि तक सेवाएं देने के इच्छुक कार्मिक विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज के आवेदन कर सकेंगे। उक्त संवर्गों की सेवाएं राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अधधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली/स्थाई लोक अदालत, पाली एवं पाली जिले की तालुका विधिक सेवा समितियों में रिक्त पदों के अनुसार ली जायेगी।

उपरोक्त वर्णित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद पर उक्त शर्तों के अधधीन सेवाएं देने वाले इच्छुक कर्मचारी दिनांक 20.04.2023 को 1.00 पीएम तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक जिला न्यायालय, पाली की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/pali> से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि दिनांक 20.04.2023 के पश्चात् के आवश्यक निर्देशों बाबत जिला न्यायालय, पाली की वेबसाईट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।


सचिव,


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला न्यायाधीश), पाली

क्रमांक/सामान्य/2023/ 1636 to 1649

दिनांक :- 13.04.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली
3. जिला कलेक्टर, पाली को समस्त अधधीनस्थ विभागों/PSUs में सूचित करने बाबत।
4. तालुका विधिक सेवा समिति, बाली/सोजत/जैतारण/सुमेरपुर/बर/देसूरी/मा.जं.
5. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, पाली को अखबार में प्रकाशन हेतु।
6. जिला नियोजन अधिकारी, पाली
7. सिस्टम आफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली को जिला न्यायालय, पाली की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।


सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला न्यायाधीश), पाली

कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली (राज.)

(विपरित प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों की सेवाएं लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1. कर्मचारी का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. जन्म तिथि:-
4. पता मय मोबाईल नम्बर :-
5. आयु (दिनांक 29.02.2024) :- वर्ष माह दिन
6. अर्हताएं :-
9. मूल विभाग का नाम :-
10. धारित पद :-
11. अनुभव :-
12. मूल वेतन
(रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे)
पे-स्लीप/एलपीसी संलग्न करें।
13. धारित पद का वेतनमान
14. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)
15. विपरित प्रतिनियुक्ति हेतु वांछित स्थान का नाम वरीयता अनुसार
(1)..... (2)..... (3).....
16. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है.....

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

वितरित प्रतिनियुक्ति के लिए कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में राज्य सरकार में संविदात्मक विपरित प्रतिनियुक्ति की सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर